

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।


पत्रांक १५५/विकास कार्य/नि०सू०/2023-24

दिनांक... 21/12/2023

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न 04 स्थलों पर 04 नग आउटडोर एल0ई0डी0 वीडियो वॉल (वीडियो मैनेजमेन्ट सिस्टम) स्थापित करने के कार्य हेतु इस प्रकार के कार्य में दक्ष फर्मों से तथा, जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 में पंजीकृत हो, से उक्त कार्य हेतु ई-निविदा टू-विड सिस्टम के आधार पर (तकनीकी एव वित्तीय दिनांक-10.01.2024 को अपरान्ह: 02:00 बजे तक uktenders.gov.in की वेबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं।

विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट mddaonline.in में भी दिया गया है यदि उक्त निविदा के सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशोधन आदि किये जाने की आवश्यकता होती है, तो उसकी सूचना उक्त वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी। निविदा तिथि पर अवकाश होने की दशा में निविदा की अगले दिन की तिथि मान्य होगी।


अधिशायी अभियन्ता
म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।

कार्यालय: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक १५५/विकास कार्य/नि०सू०/2023-24

दिनांक २१/१२/२३

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न 04 स्थलों पर 04 नग आउटडोर एल०ई०डी० विडियो वॉल (वीडियो मेनेजमेन्ट सिस्टम) के कार्य हेतु इस तरह के कार्य करने वाली दक्ष फर्मों/टेकेदारों से एक कार्य हेतु टू-बिड सिस्टम के आधार (तकनीकी एवं वित्तीय) बिड ई-निविदा दिनांक 10/01/2024 को अपरान्ह: 02:00 बजे तक uktenders.gov.in की बैवसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त ई/निविदाओं को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 11/01/2024 को सांय 02:00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। उक्त अंकित कार्य हेतु मूल निर्माता अथवा इस तरह के कार्यों में दक्ष फर्मों/टेकेदारों से ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है।

इच्छुक टेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निम्नानुसार निर्धारित राशि की निविदा मूल्य का जी०एस०टी० सहित की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम०डी०डी०ए० के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी० के रूप में हो, तथा अधिशासी अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के नाम बन्धक हो, को उक्त बैवसाईट में उक्त समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा मूल प्रति उक्त तिथि दिनांक 11/01/2024 को अपरान्ह: 02:00 बजे प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ०डी०आर० व निविदा मूल्य का ड्राफ्ट जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तें जी०पी०डब्लू०-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी सशोधित शासनादेश संख्या 1197/II (2)/07-75 (सामान्य)/ II दिनांक 24-2-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। उक्त निविदा की वैधता 90 दिन मान्य होगी।


विस्तृत विवरण प्राधिकरण की बैवसाईट mddaonline.in में भी दिया गया है। यदि उक्त निविदा के सम्बन्ध में किसी प्रकार के सशोधन आदि किये जाने की आवश्यकता होती है, तो उसकी सूचना उक्त बैवसाईट के माध्यम से दी जायेगी। निविदा तिथि पर अवकाश होने की दशा में निविदा की अगले दिन की तिथि मान्य होगी। कार्य का विवरण निम्नवत है:-

क्र०स	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रुपये में) GST अतिरिक्त देय	निविदा शुल्क	धरोहर रू०	राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता
1-	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न 04 स्थलों पर 04 नग आउटडोर एल०ई०डी० विडियो वॉल (वीडियो मेनेजमेन्ट सिस्टम) लगाए जाने का कार्य।	1,87,16,000.00	5900.00	400000.00		05 माह	90 दिन

अन्य नियम एवं शर्तें:-


निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य हैं:-

1. निविदा वैधता के सम्बन्ध में, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में, लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में, निविदा समिति के निर्णय/नो कलेम के सम्बन्ध में, एवं No Dues के सम्बन्ध में (जी०एस०टी० आई०टी० व अन्य विभागों के सम्बन्ध में) रू० 100.00 के स्टाम्प पेपर एवं रू० 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराईज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।
2. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 770 iii (2)17-20 (सामान्य)2011 टी०सी० दिनांक-12.06.2017 अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोमेन्स सिक्योरिटी नियमानुसार जमा करनी होगी।
3. प्राधिकरण को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार होगा।
4. ई-निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को वेबसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाइयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
5. अन्य नियम व शर्तें तथा विवरण अलग प्रपत्र में प्रेषित किये गये हैं।


अधिशारी अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

प्रतिलिपि:

1. सचिव, म०दे०वि०प्रा० देहरादून।
2. मुख्य लेखाधिकारी, म०दे०वि०प्रा०, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, म०दे०वि०प्रा०, देहरादून।
4. अधिशारी अभियन्ता, म.दे.वि.प्रा. देहरादून।
5. नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।
6. नाजिर म०दे०वि०प्रा० को इस आशय से प्रेषित कि व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. आई०टी०अनुभाग को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को प्राधिकरण की वेबसाईट पर अप लोड करने का कष्ट करें।
8. प्राधिकरण बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9. संबंधित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।


अधिशारी अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून